न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 50 / 2025(GCMS 2025/291)

(RTI No. 212668398110720)

श्री ओम प्रकाश सचदेवा, वरिष्ठ नागरिक, के–2 वीके सिटी, साहुवाला रोड, श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 79766–91031)

बनाम

प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

04.09.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 17.04.2025 से सूचना चाही थी जो प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा ने उन्हें समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा से सूचना वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री ओम प्रकाश सचदेवा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.04.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

कृपया मुझें आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न पत्र के संदर्भ में वृद्धावस्था शस्त्र लाईसेंस प्रकरण के अनुसार वर्ष 2018 से अब तक के सभी दस्तावेजों की नोटशीट की प्रतिलिपि सहित जानकारी प्रदान करें।

अति. जिला मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ17(1)(2)न्याय(आरटीआई) / अपील सख्या 50–2025 / राजकाज रैफ नं. 17559491 दिनांक 03.09.2025 से निमनुसार जवाब प्रेषित किया है:

क्र. सं.	**सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना के क्रम में आवेदन के बिन्दु**	**सूचना के क्रम में प्रत्युत्तर**
1	कृपया मुझें आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न पत्र के संदर्भ में वृद्धावस्था शस्त्र लाईसेंस प्रकरण के अनुसार वर्ष 2018 से अब तक के सभी दस्तावेजों की नोटशीट की प्रतिलिपि सहित जानकारी प्रदान करें।	[illegible] सूचना संलग्न [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:35:37 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 50/2025
(GCMS No. 2025/291)
(RTI No. : 212668398110720)

प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा ने अपने पत्रांक एफ17(1)(2)न्याय (आरटीआई) /अपील सख्या 50–2025/राजकाज रैफ नं. 17559491 दिनांक 03.09.2025 से अपीलार्थी से सूचना उपलब्ध करवाई गई है। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 17.04.2025 को आवेदन प्रस्तत किया था, जिसकी सूचना प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा द्वारा दिनांक 03.09.2025 को उपलब्ध करवाई गई है, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को 30 दिवस में सूचना उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। **अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना समय पर उपलब्ध न करवाना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति आपकी असंवेदनशीलता, उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है। भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को समय पर सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें** । चूंकि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि निर्णय प्राप्त होने के 5 दिवस में पंजीकृत पत्र द्वारा, वांछित बिन्दुवार सूचना, जो आपके कार्यालय में उपलब्ध है, अधिप्रमाणित, हस्ताक्षरित कर अपीलाथी को पुनः निःशुल्क प्रेषित की जावे। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:35:37 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर